



E-Mail : eechampawat@rediffmail.com

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत

& Fax No. 05965-230034

eechampawat@gmail.com

पत्रांक :- 997/02/22
सेवा में,

दिनांक :- 11 / 07 / 2022

जिलाधिकारी,
चम्पावत।

विषय :- जनपद चम्पावत के अन्तर्गत बिरमोला-रायल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.643 हे० वन भूमि के ब्यानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका कार्यालय पत्रांक 5040/छब्बीस वन सहायक/2022-23 दिनांक 02 जुलाई 2022 महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में सहायक अभियन्ता, प्रा०ख०लो०नि०वि० चम्पावत द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 92/01सी० दिनांक 06.07.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है कि विषयगत कार्य के वन भूमि प्रस्ताव में भारत सरकार के द्वारा निम्न 02 बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु प्रस्तावक विभाग को निर्देशित किया गया था, जिसकी आख्या निम्न अनुसार हैं :-

बिन्दु संख्या 01- KML file of CA area uploaded at para L(e) in place of proposed road
Action required : State govt may upload KMLfile of proposed road at para L online part1
In response to the above point, We as user Agency observe that para L is related to "Details of Land identified for CA" in which we have already uploaded the KML file of CA area (Screenshot attached)

बिन्दु संख्या 02- Documents are not found uploaded at para L(iv) g & h
we have rectified that relevant documents are already uploaded at para L(iv) g & h.

उपरोक्तानुसार अवगत कराना है कि वन विभाग द्वारा बार-बार उक्त 02 बिन्दुओं का सन्दर्भ देते हुए आनलाईन प्रस्ताव को प्रस्तावक विभाग को पुनः प्रत्यावर्तित किया जा रहा है, जिससे अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।

अतः उपरोक्त विषयक अनुरोध करना है कि अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

(डॉ० बिभोर गुप्ता)

अधिशासी अभियन्ता

प्रा०ख०,लो०नि०वि०,चम्पावत।

दिनांक 11 / 07 / 2022

पत्रांक 997/02/22

प्रतिलिपि :- प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अपर जिलाधिकारी, महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सहायक अभियन्ता, III प्रा०ख०लो०नि०वि० चम्पावत को आपके कार्यालय पत्रांक 92/01 सी दिनांक 06.07.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता

प्रा०ख०,लो०नि०वि०,चम्पावत।